उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन,14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्याः 07–विनियम/काविनी–29/पाकालि/2015–73विनियम/15 दिनांकः 04 फरवरी , 2016

विषय :– उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–2015

अधिसूचना

''आर्टिकिल ऑफ एसोसिऐशन'' मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 18.01.2016 को सम्पन्न 121वीं बैठक मे मद संख्या–121(22)/2016 पर पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित विनियमावली, एतदद्वारा, निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :–

भाग–एक–सामान्य

1. यह विनियमावली **''उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–2015''** कही जायेगी।
2. यह विनियमावली इस सम्बन्ध में निर्गत कार्यकारी आदेश की तिथि दिनांक 20.12.2006 से प्रवृत्त मानी जायेगी।
3. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त कार्मिक इस विनियमावली से आवरित होगें।
4. ''निदेशक मण्डल'' का तात्पर्य उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मण्डल से है।
5. ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य कारपोरेशन के ऐसे अधिकारी से है जिसे कारपोरेशन के विभिन्न संवर्गों के ऐसे मौलिक अथवा निःसम्वर्गीय/एकल पदों पर नियुक्ति का अधिकार है जिन पदों से कार्मिक सेवानिवृत्ति चाहता है अथवा उससे सेवानिवृत्ति की अपेक्षा की गयी है।
6. ''अर्ह सेवा'' का तात्पर्य वही होगा जो यथा अनुमन्य सेवान्त लाभ से सम्बन्धित सुसंगत नियमो मे दिया हो।

भाग–दो–सेवानिवृत्ति/सेवानिवृत्ति की तिथि

7. इस विनियमावली मे अन्यथा उपबन्धित के सिवाय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का प्रत्येक कार्मिक, उस माह के, जिसमे वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करे, अन्तिम दिन अपरान्ह् मे सेवानिवृत्त होगा :

   परन्तु, कारपोरेशन का कोई कार्मिक जिसकी जन्म तिथि किसी माह के प्रथम दिवस को हो तो वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तिथि के अपरान्ह् मे सेवानिवृत्त हो जायेगा।

Gayatri

(क्रमशः.......2)

भाग–तीन–सेवाविस्तार

8. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के किसी कार्मिक को 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु के आगे सेवा मे विस्तार नही दिया जायेगा :

परन्तु यह कि कारपोरेशन के किसी ऐसे कार्मिक, जिसको सेवावधि मे आवंटित किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करना हो अथवा किसी समिति के पूर्णकालिक सदस्य के रूप मे कार्य कर रहा हो, जिसका कि अल्प समय मे परिसमापन किया जाना हो, की सेवा को कारपोरेशन हित मे अधिकतम 03 माह की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है :

परन्तु यह भी कि कारपोरेशन के किसी ऐसे कार्मिक, जिसे उच्चतर विशिष्ट तकनीकी कार्य आवंटित हो तथा जिसका प्रतिस्थापन इस सम्बन्ध मे किये गये प्रयासों के बावजूद उसकी सेवानिवृत्ति के पूर्व किया जाना सम्भव न हो, को 62 वर्ष की आयु तक सेवा का विस्तार दिया जा सकता है, यदि ऐसा विस्तार कारपोरेशन हित मे दिया जाना अपरिहार्य हो और ऐसे विस्तार के लिये आधारों को स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया हो :

परन्तु यह और भी कि कारपोरेशन को, सेवा विस्तार दिये गये किसी भी स्थायी कार्मिक को न्यूनतम 03 माह एवं अस्थायी कार्मिक को 01 माह की लिखित सूचना देकर अथवा ऐसी सूचना के बदले मे वेतन एवं भत्ते देकर सेवा विस्तार की अवधि की समाप्ति के पूर्व उसे समाप्त करने का अधिकार होगा।

टिप्पणी :– सेवा विस्तार का प्रत्येक प्रकरण निदेशक मण्डल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

भाग–चार–समय पूर्व सेवानिवृत्ति

9. इस विनियमावली के किसी प्रस्तर मे किसी उपबन्ध के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, किसी भी समय, कारपोरेशन के किसी भी कार्मिक से (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी), नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये, उसके 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के उपरान्त, सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन का कोई कार्मिक नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देकर 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के उपरान्त अथवा 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने पर स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो सकता है :

परन्तु यह कि सेवानिवृत्ति के सम्बन्ध मे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्मिक को दी जाने वाली नोटिस सेवानिवृत्ति के लिये अपेक्षित तिथि से 03 माह पूर्व दी जायेगी। इसी प्रकार कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को दी जाने वाली नोटिस वाँछित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 03 माह पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

Gayatri

(क्रमशः.......3)

परन्तु यह भी कि नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, के आदेश से, कारपोरेशन के किसी भी कार्मिक को उसकी 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त किसी भी समय, बिना किसी नोटिस के अथवा 03 माह से कम की अल्पावधि की नोटिस पर तत्काल सेवानिवृत्त किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसी सेवानिवृत्ति पर कार्मिक, नोटिस दिये जाने की 03 माह की निर्धारित अवधि अथवा यथास्थिति, ऐसी नोटिस 03 माह से जितनी कम हो उतनी अवधि के लिये उसी दर पर वेतन एवं भत्तों, यदि कोई हों, के समतुल्य धनराशि का हकदार होगा जिस दर पर वह सेवानिवृत्त किये जाने की तिथि के ठीक पहले पा रहा था।

परन्तु यह और कि यदि कार्मिक द्वारा दी जाने वाली नोटिस वाँछित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि से 03 माह पूर्व प्रस्तुत नही की जायेगी तो कार्मिक को 03 माह अथवा अल्पावधि की नोटिस की स्थिति मे, उतनी अवधि के लिये जितनी कि 03 माह की अवधि मे से कम रह गयी हो, वेतन एवं भत्तों के समतुल्य धनराशि अर्थदण्ड के रूप मे कारपोरेशन के कोष मे जमा करना होगा,

किन्तु, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, कारपोरेशन के कार्मिक को, 03 माह की निर्धारित अवधि की नोटिस के बिना अथवा अल्पावधिक नोटिस की स्थिति मे, उससे नोटिस के बदले मे अर्थदण्ड का भुगतान करने की अपेक्षा किये बिना, स्वैक्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान कर सकता है।

10. कारपोरेशन का ऐसा कार्मिक, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात (कन्टेम्प्लेटेड) हो या लम्बित हो, द्वारा प्रस्तुत की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस, तभी प्रभावी होगी जब नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, उसे स्वीकार कर ले, किन्तु किसी अनुध्यात (कन्टेम्प्लेटेड) अनुशासनिक कार्यवाही की दशा मे, नोटिस की अवधि समाप्त होने से पूर्व, कारपोरेशन सेवक को यह सूचित किया जाना अनिवार्य है कि उसकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की नोटिस स्वीकार नही की गई है।

टिप्पणी :– कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दी गई नोटिस को, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, की अनुमति के बिना वापस नही लिया जा सकेगा।

<u>भाग–पाँच–सेवानैवृत्तिक लाभ</u>

11. कारपोरेशन के प्रत्येक कार्मिक को, जो इस विनियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होता है अथवा जिसे सेवानिवृत्त कर दिया गया हो या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान की गई हो, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत संगत नियमों/आदेशों मे निहित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत यथा अनुमन्य, सेवान्त लाभ अनुमन्य होगें।

Gayatri

(क्रमशः.......4)

परन्तु यह भी कि कारपोरेशन के किसी कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिये जाने की स्थिति मे सेवान्त लाभ के प्रयोजनो हेतु, नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, कार्मिक को 05 वर्ष की अतिरिक्त सेवा का लाभ अथवा उसकी अवशेष सेवा अवधि का लाभ, जो भी कम हो, प्रदान कर सकता है।

स्पष्टीकरण :–

(1) इस विनियमावली के विनियम–9 मे यथाविनिर्दिष्ट, कारपोरेशन के कार्मिक से सेवानिवृत्ति के लिये अपेक्षा करने का निर्णय नियुक्ति प्राधिकारी अथवा ऐसा अधिकारी जिसके अधीन नियुक्ति प्राधिकारी कार्यरत हो, द्वारा कारपोरेशन हित को दृष्टिगत रखते हुये लिया जायेगा, किन्तु यहाँ पर उल्लिखित किसी बात से यह नही समझा जायेगा कि आदेश मे इसका उल्लेख करने की अपेक्षा की गई है कि ऐसा निर्णय कारपोरेशन हित मे लिया गया है।

(2) ऐसा प्रत्येक निर्णय, कारपोरेशन हित मे लिया गया निर्णय समझा जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश, जिसमे कारपोरेशन के कार्मिक से विनियम–9 के "द्वितीय परन्तुक खण्ड" के अधीन तत्काल सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की गई हो, जारी किये जाने की तिथि के अपरान्ह् से प्रभावी होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उसके जारी किये जाने के पश्चात कारपोरेशन का सम्बन्धित कार्मिक सद्भावना से और उस आदेश की अनभिज्ञता से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करता है तो उसके कार्यों को, इस तथ्य के होते हुये भी कि वह पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, विधि मान्य समझा जायेगा।

12. इस विनियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से **"उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–1975"** (अद्यतन संशोधित) निरसित हो जायेगी, तथापि उपरोक्त निरसन के होते हुये भी "उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद (कार्मिकों की सेवानिवृत्ति) विनियमावली–1975" के अन्तर्गत लिये जा चुके निर्णय/कृत कार्यवाहियाँ वैध एवं मान्य होगीं।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

(क्रमशः......5)

संख्याः 07–(1) विनियम/काविनी–29/पाकालि/2016 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ के निजी सचिव।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम, पूर्वांचल–वाराणसी/पश्चिमांचल–मेरठ/दक्षिणांचल–आगरा/मध्यांचल–लखनऊ/केस्को–कानपुर।
8. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एवं 2) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
9. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय)/उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ0प्र0 पा0का0लि0, बी–17 जे0 रोड, महानगर, लखनऊ।
11. मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
12. महाप्रबन्धक (औ0सं0), उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
14. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पाकालि, शक्ति भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0–80/पाकालि/बैठक(22)/2016 दिनांक 02.02.2016 के सन्दर्भ में।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

Gayatri Rastogi

(गायत्री रस्तोगी)

अनु सचिव (विनियम)

Computer-126 Viniyam (Letter)-126102